समाचार

# लाकडाउन में खोली दुकान, बना रहे थे मकान, हुई कार्यवाही

## (निगम के विभिन्न जोनांतर्गत लाकडाउन उल्लंघन पर आज हुआ 15900 रूपये का अर्थदण्ड)

कोरबा 13 मई 2021 –लाकडाउन के दौरान कोसाबाड़ी क्षेत्र में एक दुकान खुली मिली, वहीं कांशीनगर में एक व्यक्ति द्वारा मकान का निर्माण कराया जा रहा था, लाकडाउन के उल्लंघन के साथ ही कार्य में लगे लोगों ने न तो मास्क लगाया था, और न ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा था, निगम अमले ने उक्त दोनों जगहों पर कार्यवाही करते हुए अर्थदण्ड लगाया गया, दुकान को बंद कराया एवं मकान निर्माण कार्य को रोका।

कोरोना संक्रमण के नियंत्रण व सुरक्षा हेतु प्रभावशील किए गए लाकडाउन का पालन कराने हेतु नगर निगम कोरबा का मैदानी अमला आज भी सक्रिय रहा तथा लाकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर उनके द्वारा कार्यवाही की गई। इस कड़ी में कोसाबाड़ी जोनांतर्गत एक हार्डवेयर दुकान खोलकर व्यवसाय किया जा रहा था, वहीं कांशीनगर में एक व्यक्ति द्वारा मकान का निर्माण कराया जा रहा था, इसके साथ ही जोनांतर्गत बेवजह घूमने, मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने सहित अन्य प्रकरणों पर 12200 रूपये का अर्थदण्ड लगाया गया। निगम के बालको जोनांतर्गत भी मकान का निर्माण कर लाकडाउन का उल्लंघन करने, बेवजह घूमने, मास्क न लगाने सहित अन्य प्रकरणों पर 1500 रूपये का अर्थदण्ड लगाया गया। इसी प्रकार अन्य जोन में भी लाकडाउन उल्लंघन पर निगम अमले द्वारा कार्यवाही की गई तथा संबंधितों को कड़ी हिदायत दी गई कि वे लाकडाउन के नियमों का पूर्ण रूप से पालन करें।

**लाकडान उल्लंघन पर 15900 रूपये अर्थदण्ड**– नगर निगम कोरबा के विभिन्न जोनांतर्गत आज लाकडाउन उल्लंघन के विभिन्न मामलों पर 15900 रूपये का अर्थदण्ड लगाया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार कोसाबाड़ी व रविशंकर जोनांतर्गत 12200 रूपये, बालको जोनांतर्गत 1500 रूपये, कोरबा जोनांतर्गत 500 रूपये, टी.पी.नगर जोनांतर्गत 500 रूपये, दर्री जोनांतर्गत 500 रूपये व सर्वमंगला जोनांतर्गत 700 रूपये का अर्थदण्ड लगाया गया।